

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ. 20 रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर (द्वितीय) मुकाम सांगानेर जयपुर व डजलारा श्री
घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 205/2020

1. गोपी पुत्र जगन्नाथ
2. रामप्रसाद पुत्र भूरा
3. ओम प्रकाश पुत्र हरदेव
4. सियाराम पुत्र रामकरण
5. गिर्राज पुत्र रामकरण
6. प्रभूनारायण पुत्र सोन्या उर्फ श्योनारायण
7. प्रकाश चन्द पुत्र सोन्या उर्फ श्योनारायण

समस्त जाति जाट निवासी तंतरवालो की ढाणी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुरा राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादी

दावा वाबत घोषणा

निर्णय

मुकदमा आज वास्तै इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरु वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण को रजिस्टर्ड बदल पत्रों के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 गोपी ने ग्राम वाटिका के खाता संख्या 824 के खसरा नं0 5360/2 रकबा 0.07 है व खसरा नं. 5365/3 रकबा 0.17 है0 वादी संख्या 2 रामप्रसाद पुत्र भूरा के नाम बदल की थी एवं वादी संख्या 2 रामप्रसाद ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खाता नं0 24 के खसरा नं0 1257 रकबा 1.79 हैक्टेयर में स्वयं के हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 12 /179 वादी नं0 1 गोपी के नाम बदल की थी व खसरा नं0 1260/3 रकबा 0.03, खसरा नं0 1258 रकबा 1.93 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 में से स्वयं का हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 12/196 वादी से 1 के नाम बदल की थी। इसी प्रकार वादी संख्या 1 गोपी ने ग्राम वाटिका के खाता संख्या 830 के खसरा नं0 3938, 3957, 3960, एव 3961 कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/10 सम्पूर्ण वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी, इसी प्रकार ग्राम वाटिका के खसरा 4079 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/10 व खसरा नं0 3937, 3941, 3942, 3943, 3947, 3948, 3950, 3955, 4073, 4077, 4078 कुल किता 11 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/10 में से हिस्सा 736/15400 व खसरा नं0 5713, 5714, 5715, 5716, 5718, कुल किता 5 रकबा 2.13 हैक्टेयर के स्वयं का हिस्सा 1/10 में से हिस्सा 20/213 वादी संख्या 3 के नाम बदल की थी एवं वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं0 1257 रकबा 1.79 में से स्वयं



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

के हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 13/179 व खसरा नं0 1258, 1260/3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर मे से स्वयं का हिस्सा 1/24 मे से हिस्सा 13/196 वादी संख्या 1 गोपी के नाम बदल की थी। इसी प्रकार वादी संख्या 4 सियाराम व 5 गिराज ने ग्राम वाटिका के खसरा नं0 5713, 5714, 5715, 5716, व 5718 कुल किता 5 रकबा 2.13 हैक्टेयर मे से हिस्सा 71/2130 वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी एवं वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं0 1257 रकबा 1.79 हैक्टेयर स्वयं का हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 4/179 व खसरा नं0 1258, 1260/3 कुल किता 2 रकबा 1.96 है0 मे स्वयं का हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 3/196 वादी संख्या 4 सियाराम व 5 गिराज के नाम बदल की थी। इसी प्रकार वादी नं0 6 प्रभुनारायण व 7 प्रकाशचन्द्र ने ग्राम वाटिका के खसरा नं0 5713, 5714, 5715, 5716, 5718, कुल किता 5 कुल रकबा 2.13 है0 मे से स्वयं का हिस्सा 71/2130 वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी तथा वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं0 1257 रकबा 1.79 है0 मे से स्वयं का हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 3/179 व खसरा नं0 1258, 1260/3 कुल किता 2 रकबा 1.96 हैक्टेयर मे से स्वयं का हिस्सा 1/4 मे से हिस्सा 4/179 वादी संख्या 6 व 7 के नाम बदल की थी इसी अनुरूप इनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरांमद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बबरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.01.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा
उपरखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
	मीजान			मीजान	

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

.....
उपरखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 205/2020

निर्णय दिनांक : 01.01.2021

1. गोपी पुत्र जगन्नाथ
2. रामप्रसाद पुत्र भूरा
3. ओम प्रकाश पुत्र हरदेव
4. सियाराम पुत्र रामकरण
5. गिर्राज पुत्र रामकरण
6. प्रभूनारायण पुत्र सोन्या उर्फ श्योनारायण
7. प्रकाश चन्द पुत्र सोन्या उर्फ श्योनारायण

समस्त जाति जाट निवासी तेतरवालो की ढाणी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुरा राज0।
वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा घोषणा खातेदारी का इस आशय का पेश किया कि वादीगण उक्त पते के स्थायी निवासी है एवं सभी वादीगण एक ही परिवार/कुटुम्ब के सदस्य है। वादीगण की ग्राम वाटिका एवं मोहनपुरा में खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमिया स्थित है, जिस पर वादीगण आपसी मनबट से काबिज होकर उपयोग उपभोग में है। वादीगण ने अपने अपने कब्जे व रिकॉर्ड में बाहमी तकासमें के कारण हो रहे अन्तर को विधिवत रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से अपने अपने नाम की जमीनो की आपस में अदला बदली (विनिमय/बदल) करने की तय कर प्रतिवादी तहसीलदार से अनुमति ली तथा उसकी पालना में कुल 4 बदल पत्र निष्पादित करवाये। इसी काम में प्रथम रजिस्टर्ड बदल पत्र दिनांक 29.03.2019 पुस्तक संख्या 1 जिल्द नं0 410 पुष्ठ संख्या 39 कम संख्या 201903025101198 एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के आदेश क्रमांक/भू अभि /1164 दिनांकित 29.03.2019 के आधार पर वादी संख्या 1 गोपी रकबा 0.17 है0 वादी संख्या 2 रामप्रसाद पुत्र भूरा के नाम बदल की थी एवं वादी संख्या 2 रामप्रसाद ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खाता नं0 24 के खसरा नं0 1257 रकबा 1.79 हैक्टेयर में खसरा नं0 1260/3 रकबा 0.03, खसरा नं0 1258 रकबा 1.93 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.96 में से

47
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

स्वयं का हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 12/196 वादी से 1 के नाम बदल की थी। इसी प्रकार द्वितीय रजि० बदल पत्र दिनांक 29.03.2019 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 410 पृष्ठ नं० 41 क्रम संख्या 201903025101200 व तहसीलदार तहसील सांगानेर के आदेश क्रमांक / भूअ/1165 दिनांकित 29.03.2019 के आधार पर वादी संख्या 1 गोपी ने ग्राम वाटिका के खाता संख्या 830 के खसरा नं० 3938, 3957, 3960, एव 3961 कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/10 सम्पूर्ण वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी, इसी प्रकार ग्राम वाटिका के खसरा 4079 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/10 व खसरा नं० 3937, 3941, 3942, 3943, 3947, 3948, 3950, 3955, 4073, 4077, 4078 कुल किता 11 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/10 में से हिस्सा 736/15400 व खसरा नं० 5713, 5714, 5715, 5716, 5718, कुल किता 5 रकबा 2.13 हैक्टेयर के स्वयं का हिस्सा 1/10 में से हिस्सा 20/213 वादी संख्या 3 के नाम बदल की थी, एव वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं० 1257 रकबा 1.79 है० में से स्वयं के हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 13/179 व खसरा नं० 1258, 1260/3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/24 में से हिस्सा 13/196 वादी संख्या 1 गोपी के नाम बदल की थी। इसी प्रकार तृतीय रजि० बदल पत्र दिनांक 29.03.2019 प्रस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 410, पृष्ठ संख्या 42 क्रम नं० 201903025101201 व तहसीलदार तहसील सांगानेर के आदेश क्रमांक भू अ /1163 दिनांकित 29.03.2019 के आधार पर वह वादी संख्या 4 सियाराम व 5 गिराज ने ग्राम वाटिका के खसरा नं० 5713, 5714, 5715, 5716, व 5718 कुल किता 5 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से हिस्सा 71/2130 वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी एवं वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं० 1257 रकबा 1.79 हैक्टेयर स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 4/179 व खसरा नं० 1258, 1260/3 कुल किता 2 रकबा 1.96 है० में स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 3/196 वादी संख्या 4 सियाराम व 5 गिराज के नाम बदल की थी। इसी प्रकार चतुर्थ रजि० बदल पत्र दिनांक 29.03.2019 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 410 पृष्ठ संख्या 40 क्रम संख्या 201903025101199 एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के आदेश क्रमांक/भू: अ /1166 दिनांकित 29.03.2019 के आधार पर वादी नं० 6 प्रभुनारायण व 7 प्रकाशचन्द ने ग्राम वाटिका के खसरा नं० 5713, 5714, 5715, 5716, 5718, कुल किता 5 कुल रकबा 2.13 है० में से स्वयं का हिस्सा 71/2130 वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी तथा वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं० 1257 रकबा 1.79 है० में से स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 3/179 व खसरा नं० 1258, 1260/3 कुल किता 2 रकबा 1.96 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 4/179 वादी संख्या 6 व 7 के नाम बदल की थी। उपरोक्त बदल पत्रों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण खोल कर अंकन करने हेतु समस्त वादीगण ने संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के यहाँ लगाया जिस पर प्रतिवादी के सम्बंधित कर्मचारी/अधिकारियों ने अपने रिपोर्ट में यह कहा की बदल पत्रों के आधार पर भूमि का नामान्तकरण सीधे एल आर सी में दर्ज नहीं हो रहा है इस कारण बदल पत्र के बजाय हितधारी के आधार पर नामान्तकरण करने की अनुशंसा पटवार हल्का व गिरदावर हल्का ने प्रतिवादी तहसीलदार से की जिस पर प्रतिवादी ने गत दिनांक 10.02.2020 को तकनीकी आपत्ती बताते हुये बदल पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला जाना सम्भव नहीं होना

५७
 उपर्युक्त अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (लाभकारी)

प्रस्तुत किया जा रहा है अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी घोषणा का डिग्री किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी दावे वर्णित आराजी का प्रत्येक को बदल पत्र के अनुसार वाद पत्र के मद नं० 3 से 6 दर्ज अनुसार प्राप्त हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त आशय का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

यह कि उक्त वाद प्रस्तुत होने पर इसे दर्ज कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया जिस पर प्रतिवादी की ओर से एक जवाब अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/2224 दिनांक 14.08.2020 के साथ न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

यह कि जवाब सरकार आने पर वादीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ है इस कारण इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की तनकी या साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है प्रकरण वैसे भी केवल मात्र रजिस्टर्ड दस्तावेज के नामान्तकरण से सम्बन्धित है जो कि ऑन लाईन होने के कारण केवल तकनीकी आपत्ति के कारण स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे ऐसे में प्रकरण में सीधे ही बहस सुनी जावे।

यह कि हमने अधिवक्ता वादीगण के कथन व पत्रावली का अवलोकन किया तो प्रकरण में सीधे ही बहस सुना जाना उचित पाया इस पर अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया कि पारिवारिक सहमति के अनुसार वादीगण जो कि एक ही परिवार के व्यक्ति है ने आपस में अपने मनबट के आधार पर काबिज अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड किये जाने के आशय से भूमिधारी तहसीलदार सांगानेर की स्वीकृति से चार रजिस्टर्ड बदल पत्र उपपंजीयक सांगानेर द्वितीय के यहां से पंजीकृत करवाये है जिन बदल पत्रों (विनिमय पत्र) पर स्वयं प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर के भी हस्ताक्षर व मोहर है उक्त बदल पत्रों के नामान्तकरण हेतु जब नामान्तकरण भरना चाहा तो ऑन लाईन नामान्तकरण में बदल पत्र के नामान्तकरण का कोई भी कॉलम नहीं था इस कारण ऑन लाईन नामान्तकरण स्वीकृत नहीं हो पाये इस पर डिग्री हेतु यह दावा पेश किया गया है इस कारण दावा डिग्री फरमाया जावे।

यह कि मेने अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सभी पक्षकार आपस में एक ही परिवार के व्यक्ति है सभी आपस में सहमत है सभी ने सहमति से तथा तहसीलदार सांगानेर की स्वीकृति से रजिस्टर्ड बदल पत्र पंजीकृत करवाये है जवाब सरकार के अनुसार ऑन लाईन नामान्तकरण में बदल पत्र के नामान्तकरण का ऑप्शन नहीं होने के कारण तकनीकी आधार पर नामान्तकरण दर्ज नहीं हो पा रहा है इस कारण स्वयं तहसीलदार ने वादीगण का दावा स्वीकार करने की अनुशंसा की है उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं वादीगण का दावा डिग्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण का वाद डिग्री किया जाता है तथा वादीगण को रजिस्टर्ड बदल पत्रों के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 गोपी ने ग्राम वाटिका के खाता संख्या 824 के खसरा नं० 5360/2 रकबा 0.07 है व खसरा नं. 5365/3 रकबा 0.17 है वादी संख्या 2 रामप्रसाद पुत्र भूरा के नाम बदल की थी एवं वादी संख्या 2 रामप्रसाद ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खाता नं० 24 के खसरा नं० 1257 रकबा 1.79 हैक्टेयर में स्वयं के

५
उपरवा
जबपुर इलाय (सांगानेर)

रकबा 0.03, खसरा नं० 1258 रकबा 1.93 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 में से स्वयं का हिस्सा 1/3 में से हिस्सा 12/196 वादी से 1 के नाम बदल की थी। इसी प्रकार वादी संख्या 1 गोपी ने ग्राम वाटिका के खाता संख्या 830 के खसरा नं० 3938, 3957, 3960, एवं 3961 कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/10 सम्पूर्ण वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी, इसी प्रकार ग्राम वाटिका के खसरा 4079 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/10 व खसरा नं० 3937, 3941, 3942, 3943, 3947, 3948, 3950, 3955, 4073, 4077, 4078 कुल किता 11 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/10 में से हिस्सा 736/15400 व खसरा नं० 5713, 5714, 5715, 5716, 5718, कुल किता 5 रकबा 2.13 हैक्टेयर के स्वयं का हिस्सा 1/10 में से हिस्सा 20/213 वादी संख्या 3 के नाम बदल की थी, एवं वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं० 1257 रकबा 1.79 है० में से स्वयं के हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 13/179 व खसरा नं० 1258, 1260/3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/24 में से हिस्सा 13/196 वादी संख्या 1 गोपी के नाम बदल की थी। इसी प्रकार वादी संख्या 4 सियाराम व 5 गिराज ने ग्राम वाटिका के खसरा नं० 5713, 5714, 5715, 5716, व 5718 कुल किता 5 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से हिस्सा 71/2130 वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी एवं वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं० 1257 रकबा 1.79 हैक्टेयर स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 4/179 व खसरा नं० 1258, 1260/3 कुल किता 2 रकबा 1.96 है० में से स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 3/196 वादी संख्या 4 सियाराम व 5 गिराज के नाम बदल की थी। इसी प्रकार वादी नं० 6 प्रभुनारायण व 7 प्रकाशचन्द ने ग्राम वाटिका के खसरा नं० 5713, 5714, 5715, 5716, 5718, कुल किता 5 कुल रकबा 2.13 है० में से स्वयं का हिस्सा 71/2130 वादी संख्या 3 ओमप्रकाश के नाम बदल की थी तथा वादी संख्या 3 ओमप्रकाश ने ग्राम मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नं० 1257 रकबा 1.79 है० में से स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 3/179 व खसरा नं० 1258, 1260/3 कुल किता 2 रकबा 1.96 हैक्टेयर में से स्वयं का हिस्सा 1/4 में से हिस्सा 4/179 वादी संख्या 6 व 7 के नाम बदल की थी इसी अनुरूप इनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

97
(घनश्याम शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी
उपरखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर